मध्य प्रदेश

पेसा अधिनियम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

सत्र I : पेसा के अंतर्गत विधायी और प्रशासनिक व्यवस्था

(18 नवंबर 2021)

बुनियादी आंकड़े

i.	गांवों की कुल संख्या	:	54903
ii.	पेसा गांवों की संख्या	:	12350
i.	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	:	22816
ii.	पेसा ग्राम पंचायतों की संख्या	:	05212
i.	ब्लॉकों की कुल की संख्या	:	313
ii.	पेसा ब्लॉकों की संख्या	:	89
i.	जिलों की संख्या	:	52
ii.	पूरी तरह सम्मिलित पेसा जिलों की संख्या	:	06
iii.	आंशिक रुप से सम्मिलित पेसा जिलों की संख्या	:	14

ग्राम सभा

पेसा का प्रावधान	मौजूदा प्रावधान
4(ख) एक गांव में सामान्यत: एक बस्ती या बस्तियों का एक समूह या एक टोला या टोलों का एक समूह होता है जिसमें एक समुदाय होता है और रीति रिवाजों तथा परंपराओं के अनुसार उसके कार्यों का प्रबंधन करता है;	1. मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में धारा 129-क जोड़ी गई है। 2. मध्य प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (ग्राम सभा का गठन, प्रक्रिया और बैठकों का संचालन) नियम 1998 अधिसूचित किए गए हैं।

ग्राम सभा

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ग) प्रत्येक गांव की एक ग्राम सभा होगी जिसमें उन लोगों के नाम शामिल होंगे, जिनके नाम ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए चुनाव नामावली में शामिल किए गए हैं;	मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में धारा -129क जोड़ी गई है।

योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं का अनुमोदन/ लाभार्थियों की पहचान

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड़) प्रत्येक ग्राम सभा - i. पंचायत स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को शुरु करने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए अनुमोदन प्राप्त करेगी ; ii. गरीबी उपशमन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रुप में व्यक्तियों की पहचान अथवा चयन करने के लिए जिम्मेदार होगी।	धारा 7- मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा को योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के अनुमोदन/ लाभार्थियों की पहचान करने की शक्ति होगी।

निधियों का उपयोग प्रमाण पत्र

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(च) ग्राम स्तर पर प्रत्येक पंचायत को खंड (ड़) के अनुसार, योजनाओं कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा ग्राम सभा से निधियों के उपयोग का एक प्रमाण पत्र लेना होगा;	धारा 7(1)(ख)(ड़) मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के तहत ग्राम सभा को निधियों के उपयोग प्रमाणपत्र के लिए शक्तियां दी गई हैं।

सीटों का आरक्षण

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(छ) प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उस पंचायत में समुदायों के प्रावधान के अनुपात में होगा, जिसके लिए संविधान के भाग IX के तहत आरक्षण दिए जाने की मांग की गई है; परंतु अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण कुल सीटों की संख्या का एक तिहाई से कम नहीं होगा; परंतु यह भी कि सभी स्तरों पर पंचायतों के अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होगी ।	सरपंच और अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में धारा 129-ड़(1) जोड़ी गई है।

पंचायतों में नामांकन

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ज) राज्य सरकार ऐसी अनुसूचित जनजातियों से संबंधित व्यक्तियों को नामित कर सकती है जिनका मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में या जिला स्तर पर पंचायत में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है: परंतु ऐसे नामांकन उस पंचायत में चुने जाने वाले कुल सदस्यों के एक दसवें हिस्से से अधिक नहीं होंगे;	मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर नामांकन के लिए मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 में धारा 129-ड़ (2) जोड़ी गई है।

भूमि का अधिग्रहण

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(झ) अनुसूचित क्षेत्रों में विकास संबंधी परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व या अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास या पुनर्स्थापन से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत के साथ परामर्श किया जाएगा; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के वास्तविक नियोजन और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर समन्वयन किया जाएगा;	मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और प्रदर्शिता का अधिकार नियम 2015 (भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व सहमति और सार्वजनिक सुनवाई) का नियम 16

लघु जल निकायों का नियोजन एवं प्रबंधन

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ञ) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल निकायों का नियोजन और प्रबंधन उपयुक्त स्तर पर पंचायतों को सौंपा जाएगा;	मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 7 (1) (नन)।

मादक पदार्थ

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (i) किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत को नियंत्रित करने और प्रतिबंधित करने के लिए शक्ति;	मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1997 का मध्य प्रदेश उत्पाद शुल्क (संशोधन) अधिनियम 1997

भूमि का हस्तांतरण

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (iii) अनुसूचित क्षेत्रों मे भूमि के हस्तांतरण को रोकने और किसी अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति की भूमि के किसी भी अवैध हस्तांतरण को बहाल करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने हेतु शक्ति ;	मध्य प्रदेश राजस्व संहिता 1959 की धारा 170 (2-क)

ग्राम बाजार

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (iv) गांव के बाजारों को, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाए, प्रबंधित करने की शक्ति;	मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 80

साहूकारी

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (V) **अनुसूचित जनजाति साहूकारी नियंत्रण की शक्ति** ;	**मध्य प्रदेश साहूकारी अधिनियम 1934 की धारा** 2 **और** 11 **(ख)**: **- साहूकारी की अनुमति नहीं दी जाएगी।** **- मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम (संशोंधन) विनियम**, 2021 **[मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियम**, 1972] : **- धारा 24क बिना लाइसेंस प्राप्त किए ऋणदाता द्वारा द्वारा दिया गया कोई भी ऋण या उस पर ब्याज निरर्थक और अपरिवर्तनीय होगा और ऐसे ऋण और ब्याज के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।**

संस्थानों, स्थानीय योजनओं और संसाधनों पर नियंत्रण

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (vii) जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण रखने की शक्ति ;	मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129-ग (vi) के तहत ग्राम सभा को जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं, संसाधनों और व्यय पर नियंत्रण रखने की शक्ति है।

विवाद समाधान

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(घ) प्रत्येक ग्राम सभा लोगों के रीति रिवाजों और परंपराओं तथा उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदाय संसाधनों और विवाद समाधान के परंपरागत तरीकों का रक्षण और परिरक्षण करने में सक्षम होगी;	प्रस्तावित

लघु खनिज - लाइसेंस, पट्टे, नीलामी

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ट) अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस या खनन पट्टे प्रदान करने से पूर्व उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिशें अनिवार्य होगी; **4(ठ)** नीलामी के जरिए लघु खनिजों के दोहन के लिए छूट प्रदान करने के लिए उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा या पंचायतों की सिफारिश अनिवार्य होगी;	प्रस्तावित

लघु वन उपज

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (ii) लघु वन उपज का स्वामित्व;	**प्रस्तावित**

संस्थानों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण

पेसा में प्रावधान	राज्य अधिनियम में प्रावधान
4(ड) (vi) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति;	**प्रस्तावित**

वन अधिकार अधिकार अधिनियम, 2006 में पेसा के संबंध में प्रावधान

धारा **2 (त)** ग्राम से तात्पर्य **-**

(i) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996 की धारा 4 के खंड (ख) में उल्लिखित एक "**ग्राम**" ; अथवा

(ii) अनुसूचित क्षेत्रों के अलावा, पंचायतों के संबंध में किसी राज्य के कानून में एक ग्राम के रुप में उल्लिखित कोई क्षत्र ; अथवा

(iii) वन ग्राम, पुरानी बसावट या बस्तियां और बिना सर्वे वाले गांव, चाहे अधिसूचित किए गए या नहीं ; or

(iv) ,ऐसे राज्यों के मामले मे, जहां कोई पंचायत नहीं हैं, परपरागत ग्राम, चाहे किसी भी नाम से पुकारे जाते हों;

धारा 13 किसी अन्य कानून का उल्लंघन नहीं **-** इस अधिनियम और पेसा अधिनियम 1996 के प्रावधानों में यथा प्रदत्त को छोड़कर**,** इस अधिनियम क प्रावधान इस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे और उनका उल्लंघन नहीं होगा।

चुनौतियां

- विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन।
- जनजातियों के बीच जागरुकता ।
- सरकारी पदाधिकारियों के बीच जागरुकता और उनका प्रशिक्षण ।
- विभिन्न जनजातियों की परंपराओं और रीति रिवाजों के संबंध में अनुसंधान और डेटा संग्रहण।

धन्यवाद